



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092023-248475
CG-DL-E-01092023-248475

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3703]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 1, 2023/भाद्र 10, 1945

No. 3703]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 1, 2023/BHADRA 10, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2023

का.आ. 3864(अ).—केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 'ई-गवर्नेंस सोसाईटी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग' हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा गठित एक निकाय, को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

- केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान;
- राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान;
- निवेश एवं अनुदानों पर प्राप्त ब्याज;
- निविदा/आवेदन शुल्क;
- स्क्रेप/रद्दी कागज की बिक्री; और
- दी गई पीओएस मशीन के लिए वसूली;

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित के अध्यक्षीन प्रभावी होगी कि ई-गवर्नेंस सोसाइटी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामल विभाग' हिमाचल प्रदेश—
- (क) किसी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
- (ख) वित्तीय वर्षों के दौरान गतिविधियों और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी; तथा
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी फाईल करेगा।
3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2023-2024 के लिए लागू मानी जाएगी जो वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए संगत है।

[अधिसूचना सं. 75/2023 फा.सं. 300196/66/2018-आईटीए- I]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए-I)

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2023

S.O. 3864(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'E-Governance Society, Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Himachal Pradesh, a body constituted / established by the state Government of Himachal Pradesh in respect of the following specified income arising to that body, namely:

- Grant received from central government;
 - Grants received from state government;
 - Interest received on investment and grants;
 - Tender/ application fees;
 - Sale of scrap/waster paper; and
 - Recovery for POS machine issued.
2. This notification shall be effective subject to the conditions that E-Governance Society, Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Himachal Pradesh,-
- shall not engage in any commercial activity;
 - activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
 - shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.
3. This notification shall be deemed to have been applied for assessment year 2023-2024 relevant for the financial year 2022-2023.

[Notification No. 75 /2023 F.No. 300196/66/2018-ITA-I]

VIKAS SINGH, Director, (ITA-I)

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.